

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह चौधरी आर.एस.

मि०न० -209/2016(2016/00091)

अनवान : -



1. चुन्नीराम पुत्र नानू जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. दुर्गादत्त पुत्र नानू जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. दीवानसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र श्रीचन्द जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. विक्रम पुत्र श्रीचन्द जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. कृष्णादेवी पत्नी दलवीर जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
5. रमेश कुमार पुत्र दलवीर जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
6. सुनिता पुत्री दलवीर जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
7. संदीप पुत्र दलवीर जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
8. कमलेश पुत्री दलवीर जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
9. श्योराज पुत्र बुधराम जाति चमार निवासी बुढेर तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
11. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।
12. ओबीसी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।
13. आरएमजीबी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।
14. संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह जाति नायक निवासी झांसल तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान कास्तकारी  
अधिनियम

उपरिस्थिति :- श्री धर्मपाल बेरवाल वादीगण  
श्री दीवानसिंह प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 14/05/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 283/293 के मु०न० 89 किला न० 1 ता 3, 8 ता 10 कुल कित्ता 6 की 1.518 है० बारानी चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 48/143 के मु० न० 51 के किला नम्बर 17, 24, 25 कुल कित्ता 3 की 0.759 है० नहरी 0.733 है० रास्ता 0.026 है० सीएचएन के खाता संख्या 87/83 के मु० न० 22 के किला न० 6/2 कुल कित्ता 0.0630 है० नहरी 0.038 है० खाता 0.025 है०, किला न० 7/2 की 0.025 है०, 13 ता 18

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बहिस्सा 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 का बहिस्सा 1/12 हिस्सा व चक 4 सीएचएन के खाता संख्या 87/83 के मु0 न0 22 के किला न0 6/2 कुल किता 1 की 0.0630 है0 नहरी 0.038 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 7/2 की 0.025 है0, 13 की 0.228 है0, 14, 15 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 16 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 17, 18 कुल किता 8 की 1.5810 है0 नहरी 1.506 है0 खाला 0.075 है0 जिसमें वादीगण का 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बहिस्सा 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 का बहिस्सा 1/12 हिस्सा, चक 4 सीएचएन के खाता संख्या 88/82 के मु0 न0 15 के किला न0 25 की 0.253 है0, मु0 न0 16 के किला न0 21 ता 23, मु0 न0 23 के किला न0 1 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 2 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 3 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 8 ता 11, 12 की 0.2400 है0, किला न0 13 की 0.202, किला न0 14/2 की 0.013 है0, 17 की 0.228 है0, 18 की 0.177 है0, 19 की 0.139 है0, 20 की 0.126 है0 नहरी 0.113 है0 रास्ता 0.013 है0, 21 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0, 22 ता 24 कुल किता 18 की 3.9080 है0 नहरी 3.8070 है0 रास्ता 0.260 है0 खाला 0.075 है0, मु0 न0 24 के किला न0 5 की 0.253 है0 नहरी 0.202 है0 खाला 0.051 है0 कुल किता 23 की 5.1730 है0 नहरी 5.0210 है0 रास्ता 0.026 है0 खाला 0.126 है0 जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 9 को 30 हिस्सा विक्रय कर दी है जिसमें वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 का 1/12 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अर्जीदावा संख्या 21/2019 के वादी जो इस अर्जीदावा में प्रतिवादी संख्या 14 संदीप पुत्र महेन्द्रसिंह जाति नायक निवासी झांसल है जिसका वाद भूमि में 0.380 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 9 श्योराज पुत्र बुधराम जाति चमार निवासी बुढेर का कोई हिस्सा दर्ज नहीं है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का अच्छी व न्याऊ के हिसाब से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किया जावें। उसमें से

चुन्नीराम पुत्र नानूराम जाति चमार निवासी झांसल – चक 5 जेएसएल के मु0 न0 89 के किला न0 1 ता 3 कुल किता 3 की 0.759 है0 बारानी, चक 4 सीएचएन के मु0 न0 15 के किला न0 25, मु0 न0 16 के किला न0 21/1 की 0.089 है0, मु0 न0 23 के किला न0 8, 9, 10/1 की 0.051 है0, 11, 12 की 0.240 है0, 13 की 0.202 है0, मु0 न0 24 के किला न0 5 की 0.253 है0 नहरी 0.202 है0 खाला 0.051 है0 कुल किता 9 की 1.847 है0 नहरी 1.796 है0 रास्ता 0.051 है0

दुर्गादत पुत्र नानूराम जाति चमार निवासी झांसल – चक 5 जेएसएल के मु0 न0 89 के किला न0 8 ता 10 कुल किता 3 की 0.759 है0 बारानी, चक 2 जेएसएल के मु0 न0 51 के किला न0 17, 24 की 0.253 है नहरी 0.240 है0 खाला 0.013 है0, किला न0 25 की 0.253 है नहरी 0.240 है0 खाला 0.013 है0 कुल किता 3 की 0.759 है0 नहरी 0.733 है0

रास्ता 0.026 है0, चक 4 सीएचएन के मु0 न0 23 के किला न0 1 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 2 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 3 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 10/2 की 0.202 है0 14/2 की 0.013 है0, 17 की 0.228, 23/1 की 0.051 है0, किला न0 24 कुल किता 8 की 1.506 है0 नहरी 1.431 है0 खाला 0.075 है0


दीवानसिंह, धर्मपाल, विक्रम पि0 श्रीचन्द 3/4 हिस्सा, कृष्णा देवी पत्नी दलवीर, रमेश कुमार, सुनिता, संदीप, कमलेश पि0 दलवीर 1/4 हिस्सा जाति चमार निवासी झांसल - चक 4 सीएचएन के मु0 न00 16 के किला न0 21/2 की 0.164 है0 नहरी 0.156 है रास्ता 0.008 है0, किला न0 22 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0, मु0 न0 22 के किला न0 6/2 की 0.063 है0 नहरी 0.038 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 7/2 की 0.025 है0, किला न0 13 की 0.228 है0, 14, 15 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 16 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 17, 18, मुरब्बा न0 23 के किला न0 19 की 0.139 है0, 20 की 0.126 है0 नहरी 0.113 है0 रास्ता 0.013 है0, 16 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0, 22 कुल किता 15 कुल 3.022 है0 नहरी 2.900 है0 रास्ता 0.047 है0 खाला 0.075 है0

संदीप पुत्र महेन्द्र जाति नायक निवासी झांसल - चक 4 सीएचएन के मु0 न00 23 के किला 18 की 0.177 है0, 23/2 की 0.202 है0 कुल किता 2 की 0.379 है0 नहरी

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्यकता रहती है। इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया और कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वादग्रस्त कृषि बाबत बंटवारा हो चुका है। वादीगण ने वाद भूमि में से बंटवारा में आये हुए अपने हिस्सा की भूमि में ऊपर की उपजाऊ मिट्टी ईन्ट भट्टा वालों को बेच कर लाखों रूपये अर्जित कर लिये व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बंटवारा में आई आराजी का अलग अलग कथन किया और मुताबिक काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का कथन किया। आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

दिनांक 18.06.2019 को अर्जीदावा प्रकरण संख्या 21/2019 अनुवान संदीप बनाम दीवान सिंह आदि इसी विवादित कृषि भूमि बाबत व इन्हीं पक्षकारानों के मध्य होने से इस अर्जीदावा के साथ कन्सोलिडेट किया गया व वादी संदीप को इस अर्जीदावा में प्रतिवादी संख्या 14 दर्ज किया गया।

  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
मादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी दुर्गादत्त पुत्र नानू जाति चमार निवासी झांसल के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। अर्जीदावा प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक पर्चा डिक्री अनुपालना में तहसीलदार राजरव भादरा द्वारा पक्षकारानों की मौजूदगी में किया गया विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं होना अंकित किया व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान के मध्य अंतिम डिक्री जारी किये जाने बाबत सहमति है व विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्याय उचित है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व 14 के हिस्से में निम्नानुसार रहेगी।

चुन्नीराम पुत्र नानूराम जाति चमार निवासी झांसल – चक 5 जेएसएल के मु0 न0 89 के किला न0 1 ता 3 कुल किता 3 की 0.759 है0 बारानी, चक 4 सीएचएन के मु0 न0 15 के किला न0 25, मु0 न0 16 के किला न0 21/1 की 0.089 है0, मु0 न0 23 के किला न0 8, 9, 10/1 की 0.051 है0, 11, 12 की 0.240 है0, 13 की 0.202 है0, मु0 न0 24 के किला न0 5 की 0.253 है0 नहरी 0.202 है0 खाला 0.051 है0 कुल किता 9 की 1.847 है0 नहरी 1.796 है0 रास्ता 0.051 है0

दुर्गादत्त पुत्र नानूराम जाति चमार निवासी झांसल – चक 5 जेएसएल के मु0 न0 89 के किला न0 8 ता 10 कुल किता 3 की 0.759 है0 बारानी, चक 2 जेएसएल के मु0 न0 51 के किला न0 17, 24 की 0.253 है नहरी 0.240 है0 खाला 0.013 है0, किला न0 25 की 0.253 है नहरी 0.240 है0 खाला 0.013 है0 कुल किता 3 की 0.759 है0 नहरी 0.733 है0 रास्ता 0.026 है0, चक 4 सीएचएन के मु0 न0 23 के किला न0 1 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 2 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 3 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 10/2 की 0.202 है0 14/2 की 0.013 है0, 17 की 0.228, 23/1 की 0.051 है0, किला न0 24 कुल किता 8 की 1.506 है0 नहरी 1.431 है0 खाला 0.075 है0

दीवानसिंह, धर्मपाल, विक्रम पि0 श्रीचन्द 3/4 हिस्सा, कृष्णा देवी पत्नी दलवीर, रमेश कुमार, सुनिता, संदीप, कमलेश पि0 दलवीर 1/4 हिस्सा जाति चमार निवासी झांसल – चक 4 सीएचएन के मु0 न0 16 के किला न0 21/2 की 0.164 है0 नहरी 0.156 है रास्ता 0.008 है0, किला न0 22 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0, मु0 न0 22 के किला न0 6/2 की 0.063 है0 नहरी 0.038 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 7/2 की 0.025 है0, किला न0 13 की 0.228 है0, 14, 15 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 16 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 17, 18, मुरब्बा न0 23 के किला न0 19 की 0.139 है0, 20 की 0.126 है0 नहरी 0.113 है0 रास्ता 0.013 है0, 16 की 0.253


विनोद कुमार बनाम भूपसिंह आदि

है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0, 22 कुल किता 15 कुल 3.022 है0 नहरी 2.900 है0  
रास्ता 0.047 है0 खाला 0.075 है0

संदीप पुत्र महेन्द्र जाति नायक निवासी झांसल - चक 4 सीएचएन के मु0 न00 23 के  
किला 18 की 0.177 है0, 23/2 की 0.202 है0 कुल किता 2 की 0.379 है0 नहरी

इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व 14 के नाम खाता  
अलग अलग दर्ज कर रास्ता आदि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। वादी  
भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड  
दुरुस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।



  
(जयसिंह चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
मादरा (जिला हनुमानगढ़)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
मादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० -209/2016(2016/00091)

अनवान : -

1. चुन्नीराम पुत्र नानू जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. दुर्गादत्त पुत्र नानू जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।



वादीगण

बनाम

1. दीवानसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र श्रीचन्द जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. विक्रम पुत्र श्रीचन्द जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. कृष्णादेवी पत्नी दलवीर जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
5. रमेश कुमार पुत्र दलवीर जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
6. सुनिता पुत्री दलवीर जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
7. संदीप पुत्र दलवीर जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
8. कमलेश पुत्री दलवीर जाति चमार निवासी झांसल तहसील भादरा।
9. श्योराज पुत्र बुधराम जाति चमार निवासी बुढेर तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
11. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।
12. ओबीसी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।
13. आरएमजीबी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।
14. संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह जाति नायक निवासी झांसल तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान कास्तकारी  
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री धर्मपाल बेरवाल वादीगण  
श्री दीवानसिंह प्रतिवादीगण

संशोधित निर्णय

दिनांक : 25/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 283/293 के मु०न० 89 किला न० 1 ता 3, 8 ता 10 कुल किता 6 की 1.518 है० बरानी चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 48/143 के मु० न० 51 के किला नम्बर 17, 24, 25 कुल किता 3 की 0.759 है० नहरी 0.733 है० रास्ता 0.026 है० व चक 4 सीएचएन के खाता संख्या 87/83 के मु० न० 22 के किला न० 6/2 कुल किता 1 की 0.0630 है० नहरी 0.038 है० खाला 0.025 है०, किला न० 7/2 की 0.025 है०, 13 ता 18 कुल किता 8 की 1.5810 है०, चक 4 सीएचएन के खाता संख्या 88/82 के मु० न० 15 के

किला न० 25, मु० न० 16 के किला न० 21 ता 23, मु० न० 23 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 11, 12 की 0.2400 है०, किला न० 13 की 0.0202, किला न० 14/2 की 0.013 है०, 17 की 0.228 है०, 18 की 0.177 है०, 19 की 0.139 है०, 20 की 0.126 है०, 22 ता 24, कुल किता 18 की 3.9080 है० नहरी 3.8070 है० रास्ता 0.260 है० खाला 0.075 है०, मु० न० 24 के किला न० 5 कुल किता 23 की 5.1723 है० नहरी 5.0210 है० रास्ता 0.026 है० खाला 0.126 है० पक्षकारान के मुस्तरका खाता की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार उनका हक व हिस्सा है। उक्त आराजी का अच्छी न्याऊ के हिसाब से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किया जावे। आदि आदि तथ्यों का अर्जीदावा पेश किया।

चुन्नीराम पुत्र नानूराम जाति चमार निवासी झांसल – चक 5 जेएसएल के मु० न० 89 के किला न० 1 ता 3 कुल किता 3 की 0.759 है० बारानी, चक 4 सीएचएन के मु० न० 15 के किला न० 25, मु० न० 16 के किला न० 21/1 की 0.089 है०, मु० न० 23 के किला न० 8, 9, 10/1 की 0.051 है०, 11, 12 की 0.240 है०, 13 की 0.202 है०, मु० न० 24 के किला न० 5 की 0.253 है० नहरी 0.202 है० खाला 0.051 है० कुल किता 9 की 1.847 है० नहरी 1.796 है० खाला 0.051 है०

दुर्गादत्त पुत्र नानूराम जाति चमार निवासी झांसल – चक 5 जेएसएल के मु० न० 89 के किला न० 8 ता 10 कुल किता 3 की 0.759 है० बारानी, चक 2 जेएसएल के मु० न० 51 के किला न० 17, 24 की 0.253 है० नहरी 0.240 है० रास्ता 0.013 है०, किला न० 25 की 0.253 है० नहरी 0.240 है० रास्ता 0.013 है० कुल किता 3 की 0.759 है० नहरी 0.733 है० रास्ता 0.026 है०, चक 4 सीएचएन के मु० न० 23 के किला न० 1 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, किला न० 2 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, किला न० 3 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, 10/2 की 0.202 है० 14/2 की 0.013 है०, 17 की 0.228, 23/1 की 0.051 है०, किला न० 24 कुल किता 8 की 1.506 है० नहरी 1.431 है० खाला 0.075 है०

दीवानसिंह, धर्मपाल, विक्रम पि० श्रीचन्द 3/4 हिस्सा, कृष्णा देवी पत्नी दलवीर, रमेश कुमार, सुनिता, संदीप, कमलेश पि० दलवीर 1/4 हिस्सा जाति चमार निवासी झांसल – चक 4 सीएचएन के मु० न० 16 के किला न० 21/2 की 0.164 है० नहरी 0.156 है० रास्ता 0.008 है०, किला न० 22 की 0.253 है० नहरी 0.240 है० रास्ता 0.013 है०, 23 की 0.253 है०, मु० न० 22 के किला न० 6/2 की 0.063 है० नहरी 0.038 है० खाला 0.025 है०, किला न० 7/2 की 0.025 है०, किला न० 13 की 0.228 है०, 14, 15 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, 16 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, 17, 18, मुरब्बा न० 23 के किला न० 19 की 0.139 है०, 20 की 0.126 है० नहरी 0.113 है० रास्ता 0.013 है०, 21 की 0.253 है० नहरी 0.240 है० रास्ता 0.013 है०, 22 कुल किता 15 कुल 3.022 है० नहरी 2.900 है० रास्ता 0.047 है० खाला 0.075 है०

संदीप पुत्र महेन्द्र जाति नायक निवासी झांसल – चक 4 सीएचएन के मु० न० 23 के किला 18 की 0.177 है०, 23/2 की 0.202 है० कुल किता 2 की 0.379 है० नहरी

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के दादा बलवीर से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी



संवत् 2073-76 चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 92/87 एवं चक 18 एएमएस जमाबनदी संवत् 2073-76 खाता संख्या 44/46 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्त से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/3 हक व हिस्सा है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्यकता रहती है। इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 92/87 में कुल 5.3130 हैक्टेयर में से 1.767 हैक्टेयर व चक 18 एएमएस के खाता संख्या 44/46 कुल 6.3250 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 8 ने जवाब दावा मय काऊन्टर क्लेम पेश किया और कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण का वादग्रस्त कृषि बाबत बंटवारा हो चुका है। वादीगण ने वाद भूमि में से बंटवारा में आये हुए अपने हिस्सा की भूमि में उपर की उपजाऊ मिट्टी ईन्ट भट्टा वालों को बेच कर लाखों रूपये अर्जित कर लिये व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बंटवारा में आई आराजी का अलग अलग कथन किया और मुताबिक काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का कथन किया। आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

दिनांक 18.06.2019 को अर्जीदावा प्रकरण संख्या 21/2019 अनुवान संदीप बनाम दीवान सिंह आदि इसी विवादित कृषि भूमि बाबत व इन्हीं पक्षकारानों के मध्य होने से इस अर्जीदावा के साथ कन्सोलिडेट किया गया व वादी संदीप को इस अर्जीदावा में प्रतिवादी संख्या 14 दर्ज किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी दुर्गादत्त पुत्र नानू जाति चमार निवासी झांसल के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। अर्जीदावा प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक पर्चा डिक्री अनुपालना में तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा पक्षकारानों की मौजूदगी में किया गया विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं होना अंकित किया व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान के मध्य अंतिम डिक्री जारी किये जाने बाबत सहमति है व विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्याय उचित है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व 14 के हिस्से में निम्नानुसार रहेगी।

चुन्नीराम पुत्र नानूराम जाति चमार निवासी झांसल - चक 5 जेएसएल के मु० न० 89 के किला न० 1 ता 3 कुल किता 3 की 0.759 है० बारानी, चक 4 सीएचएन के मु० न० 15 के किला न० 25, मु० न० 16 के किला न० 21/1 की 0.089 है०, मु० न० 23 के किला न० 8,



9, 10/1 की 0.051 है0, 11, 12 की 0.240 है0, 13 की 0.202 है0, मु0 न0 24 के किला न0 5 की 0.253 है0 नहरी 0.202 है0 खाला 0.051 है0 कुल किता 9 की 1.847 है0 नहरी 1.796 है0 रास्ता 0.051 है0

दुर्गादत्त पुत्र नानूराम जाति चमार निवासी झांसल - चक 5 जेएसएल के मु0 न0 89 के किला न0 8 ता 10 कुल किता 3 की 0.759 है0 बरानी, चक 2 जेएसएल के मु0 न0 51 के किला न0 17, 24 की 0.253 है नहरी 0.240 है0 खाला 0.013 है0, किला न0 25 की 0.253 है नहरी 0.240 है0 खाला 0.013 है0 कुल किता 3 की 0.759 है0 नहरी 0.733 है0 रास्ता 0.026 है0, चक 4 सीएचएन के मु0 न0 23 के किला न0 1 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 2 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 3 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 10/2 की 0.202 है0 14/2 की 0.013 है0, 17 की 0.228, 23/1 की 0.051 है0, किला न0 24 कुल किता 8 की 1.506 है0 नहरी 1.431 है0 खाला 0.075 है0

दीवानसिंह, धर्मपाल, विक्रम पि0 श्रीचन्द 3/4 हिस्सा, कृष्णा देवी पत्नी दलवीर, रमेश कुमार, सुनिता, संदीप, कमलेश पि0 दलवीर 1/4 हिस्सा जाति चमार निवासी झांसल - चक 4 सीएचएन के मु0 न0 16 के किला न0 21/2 की 0.164 है0 नहरी 0.156 है रास्ता 0.008 है0, किला न0 22 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0, मु0 न0 22 के किला न0 6/2 की 0.063 है0 नहरी 0.038 है0 खाला 0.025 है0, किला न0 7/2 की 0.025 है0, किला न0 13 की 0.228 है0, 14, 15 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 16 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, 17, 18, मुरब्बा न0 23 के किला न0 19 की 0.139 है0, 20 की 0.126 है0 नहरी 0.113 है0 रास्ता 0.013 है0, 16 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0, 22 कुल किता 15 कुल 3.022 है0 नहरी 2.900 है0 रास्ता 0.047 है0 खाला 0.075 है0

संदीप पुत्र महेन्द्र जाति नायक निवासी झांसल - चक 4 सीएचएन के मु0 न0 23 के किला 18 की 0.177 है0, 23/2 की 0.202 है0 कुल किता 2 की 0.379 है0 नहरी

इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व 14 के नाम खाता अलग अलग दर्ज कर रास्ता आदि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। वादी भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

संशोधित निर्णय आज दिनांक 25/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
R.A.S.  
भादरा (जिला हनुमानगढ़)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़